न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या–09/2014–15 (पुराना नम्बर–142/2014–15)

श्रीमती सुशीला आदि

बनाम

श्री सोहन लाल आदि

उपस्थितिः श्री राकेश शर्मा, आई0ए0एस0, अध्यक्ष।
एवं
श्री विजय कुमार ढौंडियाल, आई0ए0एस0, सदस्य(न्यायिक), राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

श्री धीराज गर्ब्याल, आई0ए0एस0, सदस्य(न्यायिक), राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड सर्किट कोर्ट, नैनीताल।

अधिवक्ता पुनर्विलोकनकर्ता : श्री सी0एम0 असवाल।

अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता : श्री प्रेमचन्द शर्मा।

बावत

मौजा देवीपुर मुल्या, तहसील रामनगर।

निर्णय

यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र सदस्य(न्यायिक), राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा द्वितीय अपील संख्या–03 वर्ष 2008–09 श्रीमती सुशीला आदि बनाम सोहन लाल आदि में पारित निर्णयादेश दिनांक 19–07–2014 के पुनर्विलाकन हेतु प्रस्तुत किया गया है। पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र राजस्व परिषद की दो सदस्यीय पीठ द्वारा दिनांक 07–05–2015 से निर्णीत करते हुए प्रकरण आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल को निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया गया था। राजस्व परिषद के निर्णयादेश दिनांक 07–05–2015 के विरूद्व प्रतिउत्तरदाता श्री सोहन लाल ने मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष रिट पिटीशन संख्या–1288 वर्ष 2015(एम0एस0) सोहन लाल बनाम राज्य सरकार आदि योजित की जिसपर मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा निर्णयादेश दिनांक 29–06–2015 से राजस्व परिषद के निर्णयादेश दिनांक 07–05–2015 को निरस्त करते हुए प्रकरण सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया।

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रतिउत्तरदाता श्री सोहन लाल ने वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में एक वाद अन्तर्गत धारा–209 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, रामनगर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसे निर्णयादेश दिनांक 19–01–2000 से स्वीकार कर वाद डिक्री किया गया। इस निर्णयादेश के विरूद्व विशनदत्त ने अपर आयुक्त(न्याय), कुमांऊ मण्डल, नैनीताल के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की जो अपर आयुक्त द्वारा निर्णयादेश दिनांक 21–05–2001 से निरस्त की गई। अपर आयुक्त एवं सहायक कलेक्टर द्वारा पारित निर्णयादेशों के विरूद्व श्री विशनदत्त द्वारा राजस्व परिषद में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जो सदस्य(न्यायिक), राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा निर्णयादेश दिनांक 19–07–2014 से निरस्त की गई। विद्वान सदस्य(न्यायिक), राजस्व परिषद द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 19–07–2014 के विरूद्व

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ जो निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। राजस्व परिषद की दो सदस्यीय पीठ के निर्णयादेश दिनांक 07–05–2015 से प्रकरण आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल को प्रत्यावर्तित किया गया था कि वे प्रकरण को परीक्षण वाद के रूप में लेते हुए मौके पर स्वंय जाकर उभयपक्षों एवं अन्य व्यक्ति जो मौके पर काबिज काश्त हैं तथा जिनके नाम खसरा नम्बर माल अभिलेखों में दर्ज हैं की उपस्थिति में राजस्व अधिकारियों के साथ प्रकरण का निस्तारण समयबद्ध रूप से तिथियाँ नियत करते हुए तीन माह अन्तर्गत सुनिश्चित करेंगे। राजस्व परिषद की पीठ के निर्णयादेश दिनांक 07–05–2015 के विरूद्व प्रतिउत्तरदाता सोहन लाल ने मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका योजित की जो निर्णयादेश दिनांक 29–06–2015 से निर्णित हुई एवं प्रकरण पुनः सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेश दिनांक 29–06–2015 के अनुपालन में यह प्रकरण पुनः राजस्व परिषद की पूर्ण पीठ के समक्ष प्रस्तुत है।

विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षों को सुना गया एवं उपलब्ध अभिलेखों का सम्यक अध्ययन किया गया।

अधिवक्ता पुनर्विलोकनकर्ता का तर्क है कि अवर न्यायालयों द्वारा यह निर्णय देकर कानूनी त्रुटि की गई है कि विपक्षी सोहन लाल विवादित भूमि के संक्रमणीय भूमिधर हैं जबकि वास्तविकता में पुनर्विलोकनकर्ता के पिता स्व0 विशनदत्त ने प्रश्नगत भूमि रजिस्ट्री से दिनांक 13–06–79 को क्रय की थी और उनका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुआ। विपक्षी सोहन लाल ने कभी भी अपीलकर्ता/पुनर्विलोकनकर्ता के कब्जे के सम्बन्ध में आपत्ति नहीं की और न ही समयावधि के अन्तर्गत विवादित भूमि से बेदखली का वाद उनके विरूद्व योजित किया गया। वे विवादित भूमि पर 13–06–79 से निरन्तर काबिज काश्त हैं और उनके द्वारा खरीदशुदा भूमि पर घर बनाया व पेड़ आदि लगाये गये थे। अवर न्यायालयों ने यह भी नहीं देखा कि प्रश्नगत भूमि का रकबा काफी अधिक है तथा विक्रय पत्र में उसकी सीमायें भी नहीं दी गई हैं और न ही कब्जे के सम्बन्ध में राजस्व अधिकारियों ने निशानदेही व पैमाईश करवाई गई। अवर न्यायालयों द्वारा इस तथ्य पर भी विचार नहीं किया गया कि पुनर्विलोकनकर्तागण के पिता विवादित भूमि में वर्ष 1979 से लगातार काबिज हैं जबकि बेदखली का वाद वर्ष 1998 में दायर किया गया, बेदखली का वाद विधिनुसार छः वर्ष के अन्तर्गत दायर किया जाना चाहिए था। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 29–06–2015 में पारित किये गये और पक्षकारों को निर्देशित किया गया कि विपक्षी 10 दिन के अन्दर अपनी आपत्तियां न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें तत्पश्चात प्रत्यर्थी अपना प्रत्युत्तर पत्र प्रस्तुत करे। विपक्षी के खसरा नम्बर–04 पर अन्य लोक काबिज हैं। अवर न्यायालय की पत्रावली पर राजस्व कर्मचारियों द्वारा जो रिपोर्ट दी गई उसका अवर न्यायालय द्वारा अवलोकन नहीं किया गया और द्वितीय अपील में पुनर्विलोकनकर्ता के विरूद्व आदेश पारित किया गया। विपक्षी को उसके पूर्व स्वामी द्वारा जिस स्थान पर कब्जा दिया गया उस स्थान पर विपक्षी आज भी अपनी भूमि पर काबिज एवं काश्त कर रहा है जिसका पूर्ण विवरण राजस्व विभाग की रिपोर्ट दिनांक 17–05–2002 से साबित होता है जिसके कारण राजस्व परिषद की पीठ द्वारा प्रकरण पुनः परीक्षण एवं सुनवाई हेतु आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल को प्रत्यावर्तित किया गया था। पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र राजस्व परिषद की पीठ द्वारा स्वीकार किया गया परन्तु निर्णयादेश दिनांक 07–05–2015 से अवर न्यायालय के किसी भी आदेश को खण्डित नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल ने प्रकरण सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 के अनुसार पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र का निस्तारण किए जाने के आदेश पारित किए गए।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता का तर्क है कि सोहन लाल ने ग्राम देवीपुरा मुलिया भूमि खसरा संख्या–4/2 मि0 रकबा 0.291 है0 अर्थात 04 बीघा 11 बिस्वा श्री दीवान सिंह पुत्र नन्दन सिंह से पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से दिनांक 02 जून, 1986 को क्रय की थी और क्रय की तारीख से ही वह इस भूमि पर काबिज है। इस विक्रय पत्र में श्री विशनदत्त स्वंय गवाह थे इस प्रकार साक्ष्या अधिनियम के तहत दिये गये प्राविधानों के अनुसार विशनदत्त इस विक्रय पत्र में उल्लिखित तथ्यों से इन्कार नहीं कर सकता था। सी0आर0पी0सी0 की धारा–145 की कार्यवाही से पूर्व वह विवादित भूमि का भूमिधर रहा है और सी0आर0पी0सी0 की कार्यवाही चलने के उपरान्त परगनाधिकारी के आदेश दिनांक 01–01–97 के आधार पर पुलिस द्वारा उपरोक्त भूमि का कब्जा विशनदत्त व दिनेश चन्द्र को दे दिया जिसके कारण प्रतिवादी सोहन लाल द्वारा विशनदत्त के विरूद्व बेदखली का वाद योजित किया गया। प्रार्थीगण ने दुर्भावनावश इजराय कार्यवाही जो वर्ष 2000–01 से विचाराधीन थी जिसे मा0 उच्च न्यायालय तक विधिसम्मत माना गया था के क्रियान्वयन को रोकने के लिए एक आधारहीन तथा विधि विरूद्व रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। राजस्व परिषद की खण्डपीठ द्वारा निर्णय दिनांक 07–05–2015 पारित किया गया जिसके विरूद्व पूर्व योजित रिट याचिका संख्या–1288 वर्ष 2015 पर मा0 उच्च न्यायालय ने विचार करते हुए उक्त खण्ड पीठ के आदेश को निरस्त कर दिया और वाद को गुणंदोष पर पुनः निर्णय हेतु राजस्व परिषद को प्रतिप्रेषित किया गया। रिव्यू प्रार्थना पत्र में जो दो विधि के प्रश्न राजस्व परिषद द्वारा निर्धारित किए गए उनका निर्णय नहीं किया गया इसलिए आदेश दिनांक 19–07–2014 पर पुनर्विलोकन करना आवश्यक है परन्तु मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल और मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गई बार प्रश्नगत को निर्धारित किया गया कि जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत सिविल प्रकिया संहिता में वही प्राविधान लागू होंगे जो जमींदारी विनाश अधिनियम लागू होने पर लागू थे। मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद द्वारा भी वर्ष 2013 में मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में आदेश पारित कर द्वितीय अपील में विधि के सारवान प्रश्न बनाये जाने आवश्यक नहीं हैं घोषित कर रखा जें उक्त विधि के प्रतिपादित सिद्वान्तों के होते हुए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र किसी भी प्रकार विधि में पोषणीय नहीं है। समयावधि के अन्दर ही आपत्तिकर्ता प्रतिउत्तरदाता ने प्रार्थीगण के विरूद्व बेदखली का वाद सक्षम न्यायालय में योजित कर दिया गया था और सक्षम न्यायालय से उनकी बेदखली की डिक्री प्राप्त कर ली गई थी जो कि पूर्णतया वैधानिक है। पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है और अवर न्यायालयों के आदेशों में कोई त्रुटि नहीं है। मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा भी राजस्व परिषद की पीठ के निर्णयादेश दिनांक 07–05–2015 को त्रुटिपूर्ण मानते हुए उसे निरस्त करते हुए प्रकरण सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 47 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया।

इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी सोहन लाल ने वादग्रस्त भूमि से पुन्नर्विलोकनकर्तागण के पिता स्व0 विशनदत्त के विरूद्व बेदखली का वाद सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, रामनगर के न्यायालय में योजित किया जिसमें वाद बिन्दु सृजित करते हुए सहायक कलेक्टर ने अपने निर्णयादेश से वादी सोहन लाल का वाद स्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमि से विशनदत्त एवं दिनेश चन्द्र को बेदखली के आदेश दिनांक 19–01–2000 पारित किये गये। इस निर्णयादेश के विरूद्व विशनदत्त ने अपर आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो निर्णयादेश दिनांक 21–05–2001 से निरस्त हुई और इस निर्णयादेश के विरूद्व द्वितीय अपील राजस्व परिषद में योजित की गई जो विद्वान सदस्य (न्यायिक), राजस्व परिषद, नैनीताल द्वारा निर्णयादेश दिनांक 19–07–2014 से निरस्त की गई और इसके विरूद्व यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया जिसपर राजस्व परिषद की दो सदस्यीय पीठ द्वारा दिनांक 07–05–2015 को निर्णय

पारित कर प्रकरण आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल को परीक्षण हेतु प्रत्यावर्तित किया गया जिसके विरूद्व मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका योजित की गई जो पुनः सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 47 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया।

इस प्रकरण में दिनांक 17–05–2002 को राजस्व कर्मियों द्वारा वादग्रस्त भूमि का सीमांकन भी किया जाना परिलक्षित होता है जो द्वितीय अपील पत्रावली के पेपर नम्बर–80/2 पर उपलब्ध है। जाँच आख्या दिनांक 17–05–2002 से यह स्पष्ट है कि खसरा नम्बर–04 रकबा 0.567 है0 माल अभिलेखों में सोहन लाल, गुड्डी देवी, जगतराम के नाम दर्ज है जबकि मौके पर विशनदत्त व जगतराम काबिज हैं। इसी प्रकार खसरा नम्बर–08, 12, 13, 14, 27 कुल रकबा 0.376 है0 गुड्डी देवी, विशनदत्त, गब्बर सिंह आदि के नाम माल अभिलेखों में दर्ज है जबकि मौके पर सोहन लाल, गब्बर सिंह, गुड्डी देवी व विशनदत्त आदि काबिज हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि माल अभिलेखों में उक्त खसरा नम्बर जिसके नाम दर्ज है वह उसके विपरीत अन्य जगह पर काबिज है। अतः वादग्रस्त भूमि की वास्तविक स्थिति एवं मौंके पर पक्षकारों एवं अन्य व्यक्तियों के कब्जे आदि के सम्बन्ध में यह उचित होगा कि प्रकरण आयुक्त, कुमाऊँ, मण्डल, नैनीताल को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाय कि वे इस प्रकरण का परीक्षण करें और मौके पर स्वंय जाकर उभयपक्षों एवं अन्य व्यक्ति जो मौके पर काबिज काश्त हैं तथा जिनके नाम उक्त खसरा नम्बर माल अभिलेखों में दर्ज है की उपस्थिति में राजस्व अधिकारियों के साथ इस प्रकरण का निस्तारण समयबद्व रूप से करें। चूँकि प्रकरण में राजस्व अधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर रिपोर्ट दिनांक 17–05–2002 विचारण न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी अतः इस आख्या का भी सम्यक परीक्षण किया जाना न्यायोचित होगा ताकि पक्षकारों को न्याय प्राप्त हो सके। सिविल प्रकिया सँहिता के आदेश–47 **पुनर्विलोकन** में यह वर्णित है कि :–

1. निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन– (1) जो कोई व्यक्ति–

(क) किसी ऐसी डिक्री या आदेश से जिसकी अपील अनुज्ञात है किन्तु जिसकी कोई अपील नहीं की गई है,

(ख) किसी ऐसी डिक्री या आदेश से जिसकी अपील अनुज्ञात नहीं है, अथवा

(ग) लघुवाद न्यायालय द्वारा किए गए निर्देश पर विनिश्चय से,

अपने को व्यथित समझता है और जो ऐसी नई और महत्वपूर्ण बात या सक्ष्य के पता चलने से जो सम्यक् तत्परता के प्रयोग के पश्चात् उसम समय जब डिक्री पारित की गई थी या आदेश किया गया था, उसके ज्ञान में नहीं था या उसके द्वारा पेश नहीं किया जा सकता था, या किसी भूल या गलती के कारण जो अभिलेख देखने से ही प्रकट होती हो या किसी अन्य पर्याप्त कारण से वह चाहता है कि उसके विरूद्व पारित डिक्री या किए गए आदेश का पुनर्विलोकन किया जाए वह उस न्यायालय से निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकेगा जिसने वह डिक्री पारित की थी या वह आदेश किया था।

सिविल प्रकिया संहिता आदेश–47 नियम–4 (2) आवेदन कब मंजूर किया जाएगा–
(2)(ख) ए ऐसा कोई भी आवेदन ऐसी नई बात या साक्ष्य के पता चलने के आधार पर जिसके बारे में आवेदन अभिकथन करता है, कि वह उस समय जब डिक्री पारित की गई थी या आदेश किया गया था, उसके ज्ञान में नहीं थी या उसके द्वारा पेश नहीं किया जा सकता था, ऐसे अभिकथन के पूर्ण सबूत के बिना मूजर नहीं किया जाएगा।

सिविल प्रकिया संहिता के उपरोक्त आदेश एवं नियमों में दी गई व्यवस्था एवं उपरोक्त विवेचना के आलोक में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि प्रश्नगत प्रकरण में मौके की वास्तविक स्थिति ज्ञात की जाय और तद्नुसार प्रकरण का निस्तारण हो। अतः पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रकरण आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल को उपरोक्तानुसार निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित होगा।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आलोक में पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए सदस्य(न्यायिक), राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 19–07–2014, अपर आयुक्त(न्याय), कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 21–05–2001 तथा सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, रामनगर द्वारा पारित निर्णयादेश/डिक्री दिनांक 19–01–2000 निरस्त करते हुए प्रकरण आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल को इस आशय प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे उपरोक्तानुसार प्रकरण का निस्तारण उभयपक्षों एवं सभी सम्बद्ध पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर मौके पर काबिज–काश्त व्यक्तियों तथा सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों की उपस्थिति में समयबद्ध रूप से तिथियाँ नियत करते हुए शीघ्रता से यथासम्भव तीन माह अन्तर्गत प्रकरण का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

(धीराज गर्ब्याल)
सदस्य(न्यायिक),
राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड,
सर्किट कोर्ट, नैनीताल।

(विजय कुमार ढौंडियाल)
सदस्य(न्यायिक),
राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

(सुकेश शर्मा)
अध्यक्ष।

आज दिनांक 02-02-16 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(धीराज गर्ब्याल)
सदस्य(न्यायिक),
राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड,
सर्किट कोर्ट, नैनीताल।

(विजय कुमार ढौंडियाल)
सदस्य(न्यायिक),
राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड,
देहरादून।